

प्रपत्र-2.1

परियोजना का नाम:- तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं०-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान-

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर के रुद्रपुर, टाण्डा, भाखड़ा व हल्द्वानी राजि के अन्तर्गत उपर कार्य प्रस्तावित है।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

उत्तराखण्ड।

ii) जिला

नैनीताल एवं उधमसिंहनगर।

iii) वन प्रभाग

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

16.69 है०

v) वन की कानूनी स्थिति

आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र।

vi) हरियाली का घनत्व

संलग्न।

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० -8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।

संलग्न।

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

नहीं।

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है।

नहीं।

यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो।

नहीं।

8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित

संलग्न।

वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

प्रस्तावित मार्ग 1980 से पूर्व निर्मित मोटर मार्ग है जिसका उल्लेख वन विभाग की कार्य योजना वर्ष 1934-35 से 1948-49 के पृष्ठ सं0 33, वर्ष 1965-66 से 1974-75 के पृष्ठ सं0 42 एवं वर्ष 1975-76 से 1984-85 के पृष्ठ सं0 में है (प्रतिलिपि संलग्न है।)

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

संलग्न।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

संलग्न।

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

संलग्न।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

संलग्न।

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न।

11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

i. जिला का वन क्षेत्र।

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर वर्ष 2017-18 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

जनपद नैनीताल में 402040.00 है० वनभूमि
जनपद उधमसिंहनगर में 56400.00 है० वनभूमि.
613 मामलों में 6989.67 है० वनभूमि (नैनीताल)
48 मामलों में 340.86 है० वनभूमि (उधमसिंहनगर)
8483.18 है० (नैनीताल)
297.95 है० (उधमसिंहनगर)

7993.9923 है० (नैनीताल)
275.46 है० (उधमसिंहनगर)
459.19 है० (नैनीताल)
23.467 है० (उधमसिंहनगर)
(प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित)

दिनांक 13/7/2022

स्थान Haldwari

हस्ताक्षर

नाम D. A.

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी

रुद्रपुर, उधमसिंहनगर